**UPKJ010010032024**

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०) कक्ष सं०-1, कन्नौज।**

**उपस्थित- श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)**

**विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-298/2024**

उत्तर प्रदेश सरकार ..........**अभियोजन पक्ष।**

**बनाम**

**गीता देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह,**

निवासी-मियागंज कन्नौज थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज। ............**अभियुक्ता।**

**मुकदमा अपराध संख्या-783/2021**

**धारा-138 (बी) विद्युत अधिनियम**

**थाना-एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।**

**निर्णय**

**1.** उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या-783/2021 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्ता **गीता देवी** के विरुद्ध **धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003** का अपराध आरोपित है।

**2.** इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर **(प्रदर्श क-1)** के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 29.06.2021 समय लगभग 11.00 बजे ग्राम मियागंज कन्नौज में ए०टी० एण्ड सी० हानियां कम करने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्तओं के बकाया धनराशि पर पूर्व में विच्छेदित संयोजन की जांच की गयी। जांच टीम में मैं राजेश कुमार अवर अभियन्ता, उपकेन्द्र बहादुरपुर, उपखण्ड अधिकारी अरविन्द कुमार गुप्ता एवं संविदा कर्मी लाइन मैन स्टाफ के साथ निम्न्न उपभोक्ताओं का पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन चेक करने पर मौके पर बिना बकाया भुगतान किये अवैध रूप से संयोजन जुड़ा एवं चालू पाया गया। उपभोक्ता का नाम व पता गीता देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह मियागंज संयोजन संख्या-781711262240 बकाया धनराशि-

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.24 17:08:20 IST
Reason: judgment
Location: A.D.J.1,Kannauj.

96,000/–रूपये है।

अतः मुल्जिमा उपरोक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए।

**3**. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्ता **गीता देवी** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 17.12.2024** को अभियुक्ता गीता देवी के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्ता ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

**4**. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **वादी मुकदमा/पी०डब्लू०–1 अवर अभियंता राजेश कुमार** व **पी.डब्लू.–2 अरविन्द कुमार** को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर को **प्रदर्श क–1** व पत्रांक रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** प्रदर्शांकित किया गया है।

**5**. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्ता की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**6**. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

**7.** अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 अवर अभियंता राजेश कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.06.2021 को मैं अवर अभियन्ता के पद पद पर तैनात था। उस दिन विभाग के उच्चधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया धनराशि पर काटे गये कनेक्शनों को चेक किया गया। मेरे साथ उपखण्ड अधिकारी अरविन्द कुमार गुप्ता मय संविदा कर्मियों को लेकर भी चेकिंग अभियान में साथ गये थे। हम लोग समय 11:00 ग्राम मियॅागंज थाना व जिला कन्नौज गये तो वहाँ पर उपभोक्ता गीता देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह निवासी मियागंज के संयोजन को चेक किया तो उनका कनेक्शन पूर्व में मु0 96,000/– रुपये के बकाये पर काटा गया था जिसको उनके

द्वारा अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का अवैध रुप से उपभोग किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में कार्यालय वापस आकर एक तहरीर कम्प्यूटर पर टाइप करवारकर तैयार की थी जिसमें दिनांक, समय, स्थान व अभियुक्ता का नाम पता आदि अपने हस्तलेख में भरकर तैयार किया था। तहरीर लेकर थाने आये थे तथा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। तहरीर पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/05 पर मौजूद है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इसपर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मेरी निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया था। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता मगन सिहं के द्वारा जारी एक रिपोर्ट पत्रांक संख्या 186 दिनांकित 13.01.2025 पत्रावली में शामिल है जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा विभाग मे उसका बकाया बिल जमा नहीं किया गया है तथा उसके ऊपर मु० 3,928/–रुपये का निर्धारण शुल्क तथा मु0 2,000/–रुपये शमन शुल्क भी बकाया है जिसे उसके द्वारा दिनांक 13.01.2025 तक विभाग में जमा नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट पर मैं अधिशासी अभियन्ता मगन सिह के हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया।

साक्षी/वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 राजेश कुमार** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जिस दिन कनेक्शन काटा गया था उस दिन मैं मौके पर था। यह मुझे याद नहीं है कि कनेक्शन धारक मौके पर थी या नहीं थी। विच्छेदन स्लिप पर तारीख नहीं पड़ी है। महीना व सन पड़ा है। इसलिये नहीं सकता कि विच्छेदन किस तारीख का है।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–1 के बयान से यह विदित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा यह बताया गया कि यह मुझे याद नहीं है कि कनेक्शन धारक मौके पर थी या नहीं थी। विच्छेदन स्लिप पर तारीख नहीं पड़ी है। महीना व सन पड़ा है। इसलिये नहीं सकता कि विच्छेदन किस तारीख का है। इस प्रकार साक्षी राजेश कुमार का साक्ष्य संदेह की परिधि में हो जाता है।

8. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू.–2 अरविन्द कुमार गुप्ता** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.06.2021 समय लगभग 11.00 बजे ग्राम मियागंज कन्नौज में एल.टी. एण्ड सी० हानियां कम करने हेतु कुछ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया धनराशि पर काटे गये कनेक्शनों को चेक किया गया। हम लोग समय 11:00 ग्राम मियॉगंज थाना व जिला कन्नौज गये तो वहाँ पर उपभोक्ता गीता देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह

निवासी मियागंज के संयोजन को चेक किया तो उनका कनेक्शन पूर्व में मु0 96,000/– रुपये के बकाये पर काटा गया था जिसको उनके द्वारा अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का अवैध रुप से उपभोग किया जा रहा था। अभियुक्ता का मार्च 2021 में बकाया मु०–92,631/– रूपये पर काटा गया था जिसकी विच्छेदित स्लिप पत्रावली पर मौजूद है।

साक्षी **पी.डब्लू.–2 अरविन्द कुमार** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं कनेक्शन काटने नहीं गया था इसलिये मुझे कनेक्शन काटने की जानकारी नहीं है। विच्छेदन स्लिप पर कनेक्शन धारक के हस्ताक्षर नहीं है न ही अन्य व्यक्ति ग्राम प्रधान के साइन है।

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू–2 के बयान से यह विदित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि मैं कनेक्शन काटने नहीं गया था इसलिये मुझे कनेक्शन काटने की जानकारी नहीं है। विच्छेदन स्लिप पर कनेक्शन धारक के हस्ताक्षर नहीं है न ही अन्य व्यक्ति ग्राम प्रधान के साइन है। इस प्रकार उक्त साक्षी साक्ष्य संदेह की परिधि में हो जाता है।

**9.** पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्ता के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू–1 अवर अभियंता राजेश कुमार व पी.डब्लू.–2 अरविन्द कुमार के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

**10.** राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्ता द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्ता इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

**11.** अभियुक्ता की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्ता ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्ता के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्ता द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्ता पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्ता इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**12.** मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्ता के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्ता द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

**13.** धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

**14.** धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

**15.** पत्रावली में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज, जनपद कन्नौज द्वारा लिखित आख्या दिनांकित 09.03.2026 में यह अंकित है कि **उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्ता गीता देवी पत्नी योगेन्द्र सिंह निवासी मियागंज थाना व जिला कन्नौज के द्वारा पंजीकृत अपराध में बकाया विद्युत बिल धनराशि रसीद संख्या–69835830691 दिनांक 06.03.2026 को जमा कर दिया है एवं राजस्व निर्धारण शुल्क धनराशि रु0 3,928 को रसीद सं0 333357182337 दिनांक 06.03.2026 व शमन शुल्क धनराशि रू0 2,000 रशीद सं० 333275240797 दिनांक 06.03.2026 को जमा कर दिया गया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुका हैं। इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नही है।**

**16.** उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया **धारा–138 (बी) विद्युत अधिनियम 2003** (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र विचारण वाद संख्या–

**298/2024** राज्य बनाम गीता देवी अन्तर्गत **धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम 2003** बाबत मुकदमा अपराध संख्या–783/2021 थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्ता **गीता देवी**, आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

**विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–298/2024 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–783/2021, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज** के आरोप अन्तर्गत **धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्ता **गीता देवी** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्ता जमानत पर है।

अभियुक्ता के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

**दिनांक–19.03.2026** (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

**दिनांक–19.03.2026** (हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code– UP6489

**न्यायालय** अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०) कक्ष सं०–1, कन्नौज।

राज्य बनाम गीता देवी

**विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–298/2024**

**दिनांक–19.03.2026**

वाद पुकारा गया। पुकार पर उपस्थित अभियुक्ता मय विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान ए.डी.जी.सी.। पत्रावली बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों को सुना।

पत्रावली वास्ते **आदेश लंच बाद पे**श हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

**दिनांक–19.03.2026**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

आदेश हआ कि:–**विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–298/2024 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–783/2021, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज** के आरोप अन्तर्गत **धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्ता **गीता देवी** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्ता जमानत पर है।

अभियुक्ता के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

( हरि प्रसाद )
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।